

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बेगूँ, जिला चित्तौडगढ (राज.)

क्रमांक/भू.अ./पत्थरगढी/2024/2056

दिनांक 11.06.2024

प्रेषित,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
तहसील बेगूँ

विषय - पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।


प्रसंग - श्रीमान के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/2024/86 दिनांक 21.05.2024 कि पालना
में

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि उक्त प्रांसगिक आदेश मे मौजा गुलाना पटवार मण्डल गोविन्दपुरा के आ.न.264,415 से 418 तक ,432 से 435 तक,443 से 445 तक, 452,638,645 किता 14 कुल रकबा 3.55 है. भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये । आदेश कि पालना मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उपस्थिती मे दिनांक 07.06.2024 को भू.अभिलेख निरीक्षक चेची द्वारा कि गई। मौके पर आ.न.445 रकबा 0.032 है.भूमि मे से 0.025 है.भूमि पर श्री छीतर पिता भेरू माली का कब्जा होना सीमांकन अनुसार मौके पर उपस्थित मौतविरान ने बताया । मौके पर अप्रार्थी छीतर पिता भेरू माली ने हस्ताक्षर करने से मना किया ।

अतः पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे प्रेषित है ।

सलग्न- 1 रिपोर्ट भू.अभि.निरीक्षक,मय पर्चा मौका


तहसीलदार(भू.अ.)
तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूँ, जिला चित्तौडगढ

मौका पर्चा ग्राम - गुलाना तहसील - बेगुं

दिनांक 07.06.2024

श्रीमान सहायक मल्कर महो. बेगुं के आदेश क्रमांक / सखिता / 2024 / 86 दि. 21.05.2024 व श्रीमान तहसीलदार महो. बेगुं के आदेश क्रमांक / भू-37 / 2024 / 1694 दि. 29.05.24 की पालना में मौजा गुलाना के आ.न. 264, 415 से 418 तक 432 से 435, 443, 444, 445, कितों 14 रुकवा 3-55 हेंबरे. का सीमांकन कर पत्थरगदी करने के आदेश दिये गए। इस हेतु प्रार्थी व विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से सूचित कर आज दिनांक को मौके पर उपस्थित हुआ। मौके पर प्रार्थी व विपक्षीगण के 06 क्रमांक 1, 5, 6 उपस्थित मिले। अन्य अनुपस्थित थे। प्रार्थी द्वारा मौके पर प्रार्थी द्वारा आ.न. 415, 416, 418, 432, 443, 444, 445 की पत्थरगदी करने हेतु कहा। मुल्लिखित बिन्दु आ.चौट न- 418, 636 से पिता-पत्नी कर रेफर्ड नक्शा (मेसियाशीट) के आधार पर आ.न. 415, 416, 418, 432, 443, 444, 445 का सीमांकन किया गया। आ.न. 445 र. 0.032 हेंबरे र. 0.025 हें पर श्री धीतर पिता भेरु माली का कहना होना सीमांकन अनुज्ञा। मौके पर उपस्थित जौतगिशन ने बताया। अन्य आराजी पर सीमांकन मुताबिक पत्थर कायम करवाये गए जो नम्बरे अनुसार सही हैं। मौके पर प्रार्थी श्री- शंकरलाल का पबन्द किया कि आ.न. 445 का र. 0.025 हें कदना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय से कार्रवाही करावे। किसी प्रकार का विवाद / लडाई नगडा नही करे। उक्त कार्यगदी बिना रखलंदाजी अन्य आराजी के ही गई।

मौका पर्चा बनाया व पढकर सुना समझा कर उपरोक्त के हस्ताक्षर कराए गए।

गो.
 ZLR-वेची

अप्रार्थी श्री धीतर पिता भेरु माली ने हस्ताक्षर नही किये।

रामपाल शर्मा
(रामपाल शर्मा उदा धामा)
अप्रार्थी क्र. 5

शंकरलाल
(प्रार्थी)

रामपाल शर्मा
(रामपाल शर्मा उदा धामा)

शंकरलाल शर्मा
(शंकरलाल शर्मा उदा धामा)

शंकरलाल शर्मा
(शंकरलाल शर्मा उदा धामा)